बैठक

आज दिनाँक 16-08-2021 दिन सोमवार दोपहर 2:00 बजे स्थानीय प्रबंधन समिति की बैठक महाविद्यालय के मुख्य भवन के स्मार्ट क्लास रूम में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुवजी, विधायक नगरी-सिहावा विधानसभा क्षेत्र, की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में निम्नलिखित सदस्य गण उपस्थित रहे —

1. माननीय डॉ (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुवजी अध्यक्ष
2. माननीय श्री शरद लोहानाजी सदस्य
3. माननीय श्री विजय साहू जी सदस्य
4. माननीय श्री भरत सोनीजी सदस्य
5. माननीय श्री मदनमोहन खण्डेलवाल सदस्य
6. माननीय श्री राजेन्द्र लुंकड सदस्य
7. माननीय श्रीमती कविता योगेश बाबर सदस्य
8. माननीय श्री सोमेश मेश्राम सदस्य
9. माननीय श्री घनश्याम साहू सदस्य
10. माननीय श्री पी.डी. पराडकर सदस्य
11. माननीय श्री लवकी जैन सदस्य
12. डॉ (श्रीमती) श्रीदेवी चौबे सचिव
13.

बैठक कार्यवाही विवरण

पिछली बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :

पूर्व बैठक दिनांक 12.07.2020 के एजेण्डा क्र० – 01 से लेकर 4.9 तक के निर्णयों को प्राचार्य द्वारा पढ़कर सुनाया गया। जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों ने ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की।

एजेण्डा क्र० – 01 · Equitas Bank से जनभागीदारी शुल्क एवं अन्य ऑनलाइन सुविधा हेतु चर्चा :–

Equitas Bank शाखा प्रबंधन श्री अजय कटेर एवं उनके सहयोगी श्री रजनीश तिवारी ने Equitas Bank की सुविधाओं की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के छात्रों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं जन-भागीदारी शुल्क को सीधे बैंक में online payment Gate ways, QR code, swipe machine के द्वारा संग्रहित किये जाने का प्रस्ताव दिया। बचत खाते में एक लाख से अधिक जमा पर 07 प्रतिशत वार्षिक 01 लाख से कम पर 03 प्रतिशत एवं चालू खाते में 03 प्रतिशत ब्याज की जानकारी उन्होंने दी। Equitas Bank के समस्त प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत समिति ने आगामी बैठक में निर्णय लिये जाने की सहमति दी।

एजेण्डा क्र० – 02 – कन्या छात्रावास भवन में डग बोर खनन कराने बाबत् ! –

सत्र 2021-22 में कन्या छात्रावास भवन प्रारंभ किया जाना है किन्तु भवन में पानी की सुविधा न होने के कारण जनभागीदारी मद से डग बोर खनन कराने की सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा क्र० – 03 – छात्रावास भवन में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी ! –

कन्या छात्रावास प्रारंभ करने हेतु 20 नग पलंग,

गद्दे, तकिया एवं किचन हेतु आवश्यक बर्तन उपकरण आदि सुविधा जनभागीदारी मद से कराये जाने की सहमति दी गई, इस हेतु आदिवासी विकास विभाग से सामानो की सूची तथा आपूर्तिकर्ताओं से भावपत्र प्राप्त कर अनुमानित लागत समिति को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

एजेण्डा क्र0-04 — छात्रावास मरम्मत कार्य में आवश्यक सहायता :—

कन्या छात्रावास भवन का मरम्मत कार्य रूसा मद से प्राप्त राशि से लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, किन्तु लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन में भवन की दीवारों में पुट्टी कराये जाने का स्वीकृति नहीं है अतः दीवारों की गुणवत्ता हेतु छात्रावास भवन की दीवारों की पुट्टी का कार्य जनभागीदारी मद से कराये जाने की सहमति दी गई।

एजेण्डा क्र0-05 — नये भवन में एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण बाबत् —

प्राचार्य ने समिति को जानकारी दी कि रूसा मद से निर्मित नये भवन के द्वितीय तल पर दो कमरे रूसा मद से एवं एक कमरा डी.एम.एफ. मद से लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। उक्त भवन में द्वितीय तल पर शेष बचे एक कक्ष हेतु धमतरी विधायक माननीय श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहु से निवेदन किया गया था। माननीय विधायक द्वारा सचिव उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया। जिसके प्रतिउत्तर में आयुक्त कार्यालय से प्राक्कलन एवं औचित्य मंगाया गया। लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त कर औचित्य सहित आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया। साथ ही माननीय विधायक को भी पत्र द्वारा सूचित करते हुए उनसे व्यक्तिगत

तौर से अतिरिक्त कक्ष हेतु राशि स्वीकृति कराने का निवेदन किया गया है।
प्राचार्य ने समिति से निवेदन किया गया कि यदि शासन से राशि प्राप्त होने में विलंब होता है तो जनभागीदारी मद से उक्त अतिरिक्त कक्ष बनाया जाना उचित होगा, क्योंकि निर्माण लागत कम आयेगी। समिति ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

एजेण्डा क्र0-06 — स्वीपर की सेवाएँ लिए जाने बाबत् :—
महाविद्यालय परिसर में कुल 06 भवनों में 16 शौचालयों की सफाई के लिए वर्तमान में कार्यरत एक स्वीपर की सेवाएं अपर्याप्त हैं। शौचालय की संख्या एवं विद्यार्थी की संख्या के दृष्टिगत, एक और स्वीपर की सेवाएं लिये जाने की मांग प्राचार्य द्वारा रखी गयी जिस पर सभी ने सहमति प्रदान की।

एजेण्डा क्र0-07 — केमेस्ट्री पी.जी. लैब एवं एच.ओ.डी. चेम्बर नये भवन कक्ष क्र0-03 में स्थानांतरण बाबत् —
प्राचार्य ने समिति को सूचित किया गया कि नये भवन के प्रथम तल पर केमेस्ट्री स्नातक कक्षाओं हेतु सर्व सुविधायुक्त प्रयोगशाला कक्ष निर्मित हो चुका है। अतः उससे संलग्न कक्ष क्र0-03 में केमेस्ट्री पी.जी. कक्षाओं हेतु लैब एवं एच.ओ.डी. का चेम्बर स्थानांतरित किया जाना है इस हेतु आवश्यक मरम्मत कार्य जनभागीदारी मद से कराये जाने की सहमति दी गई।

एजेण्डा क्र0-08 — जोबापुर रोड तरफ से काउचेकर पर मुरम भराई :—
समिति को सूचित किया गया कि जोबापुर रोड तरफ से महाविद्यालय प्रवेश द्वार पर निर्मित काउचेकर के पाइप चोरी हो जाने एवं टूट जाने के कारण

शेष पाइप निकाल लिया गया एवं गड्ढे को निगम द्वारा भरा गया। किन्तु रोड समतल करने उक्त गड्ढे में मुरुम भराव आवश्यक है, इस कार्य हेतु समिति के सदस्य एवं पार्षद श्री सोमेश मेश्राम ने मुरुम भराई की जिम्मेदारी ली।

एजेण्डा क्र० – 09 — विधि विभाग मुख्य भवन में – स्थानांतरण बाबत् :–

वर्तमान में कन्या छात्रावास में संचालित विधि – विभाग को कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जाने के कारण मुख्य भवन में कैमिस्ट्री एवं फिजिक्स लैब के स्थान पर स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव प्राचार्य द्वारा रखा गया। आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्य जनभागीदारी मद से कराये जाने की सहमति दी गई। –

एजेण्डा क्र० – 10 — महाविद्यालय पहुंच मार्ग लोक निर्माण विभाग से निर्माण बाबत् :–

समिति के समक्ष प्राचार्य ने प्रस्ताव रखा कि विवेकानंद प्रतिमा से महाविद्यालय पहुंच मार्ग जर्जर हो चुका है अतः पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया जाना आवश्यक है इस पर समिति के सदस्य श्री शरद लोहाना जी ने बैठक में – जानकारी दी कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और उन्होंने लोक निर्माण विभाग धमतरी को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दे दिया है। –

एजेण्डा क्र० – 11 — छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए फोटोकापी मशीन :–

प्राचार्य ने समिति को जानकारी दी कि छात्र-छात्राओं को बाजार दर से आधे दर पर फोटोकापी सुविधा प्रदान करने हेतु जनभागीदारी समिति द्वारा 23.09.2014 से फोटोकापी मशीन की

सुविधा ग्रन्थालय में दी गई थी | मशीन का आय - व्यय विवरण निम्नानुसार है :—

Photocopy Machine Purchased Through JBS

S.NO.	Particular	Amount
(01)	Fixed cost (cost price)	97116.00
(02)	Running cost	
	(i) A4 Paper for (141816 copy)	
	$\frac{141816}{5000}$ = 28 cartoon	
	Average Rate 28×1600	44800.00
	(ii) Refiling Cost	
	Toner Replace	
	01 Toner life - 35000 copy	
	Total Replaced toner (04)	
	Average Rate 04×5500	22000.00
	Total cost	163916.00
	Receipts	
	Case from students deposited in JBS A/c - 60982.00	
	Utilise by college -@Rs-01/- 80834.00	
	141816.00	141816.00
	Saving / Excess .	22100.00
	In cash of market rate ie @ Rs. 2/- per Copy 141816×02 = 283632.00	
	(-) 163916.00	
	Saving 119716.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मशीन की संपूर्ण लागत वसूली की जा चुकि है | अतः नई मशीन लिया जाना उपयुक्त है | अतः जनभागीदारी से नई मशीन क्रय करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया | जिस पर समिति ने सहमति प्रदान की |

एजेण्डा क्र० -12 — प्रथम तल पर आई.क्यू.ए.सी. कक्ष का सुसज्जीकरण :—
नैक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में सुविधायुक्त आई.क्यू.ए.सी. कक्ष मुख्य भवन के प्रथम तल स्मार्ट रूम के बगल कक्ष क्र०-04 को आई.क्यू.ए.सी. कक्ष के रूप में सुसज्जित किये जाने की सहमति दी गयी।

एजेण्डा क्र० -13 — अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

13.1 :- कोविड-19 से प्रभावित छात्र-छात्राओं के प्रवेश शुल्क एवं जनभागीदारी शुल्क में आर्थिक सहायता :-
महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राओं जिनके माता या पिता में से किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो अथवा उनकी आर्थिक स्थिति कोविड-19 के कारण कमजोर हुई हो तो ऐसे छात्र-छात्राओं का प्रवेश शुल्क एवं जनभागीदारी शुल्क समिति के सम्माननीय सदस्य श्री शरद लोहाना ने स्वयं वहन करने की घोषणा की।

13.2 :— केण्टीन संचालन संबंधी :—
नये सत्र से महाविद्यालय परिसर में स्थित केण्टीन में संचालन के संबंधी प्राचार्य ने अवगत कराया कि महाविद्यालय के शर्तों के अधीन 2100 मासिक किराया की दर पर केण्टीन संचालन का अनुबंध पत्र आवेदक से किया जाता है, जिस पर समिति ने सहमति दी।

13.3 I—— नैक तैयारी की अद्यतन जानकारी :—
नैक तैयारी के परिप्रेक्ष्य में IIQA submit करने पर नैक द्वारा LLB कोर्स संचालन हेतु बार कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली का 2020-21 हेतु Approval certificate की मांग।

की ड्रैस कस हेतु BCI से पत्र व्यवहार एवं इलेक्ट्रोनिक चर्चा निरंतर जारी है, शीघ्र ही यह कार्य हो जाने की उम्मीद है। अन्य तैयारी (SSR) लगभग पूर्ण है। —

13.4 :— प्रवेश की तारीख 14 सितम्बर को आरक्षित संबंधी :

प्राचार्य ने समिति को अवगत कराया कि 2021-22 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका अनुसार 31 अगस्त तक प्राचार्य के अधिकार से तथा 14 सितम्बर 2021 तक कुलपति की सहमति से प्रवेश दिया जायेगा। अतः प्रवेश की अंतिम तिथि को (14 सितम्बर) आरक्षित सीटों को अनारक्षित में परिवर्तन हेतु समिति के सदस्यों की उपस्थिति निवेदित की गई जिस पर समिति ने सहमति दी। —

13.5 :— सीट संख्या में वृद्धि एवं नये कोर्स आवेदन की जानकारी : —

12 वीं के परीक्षा परिणाम लगभग शत प्रतिशत आने के कारण महाविद्यालय में प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनों की संख्या को ध्यान पर रखकर विभिन्न कक्षाओं हेतु निम्नानुसार सीट वृद्धि एवं नये कोर्स क्रमशः पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी. एम.एस.सी. हेतु उच्च शिक्षा विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। —

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

जावक कमांक 2391

दिनांक 06/3/2017

रूप दो

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

क्रमांक संभाग–रायपुर / जिला–धमतरी / पं0कं0–36036

यह प्रमाणित किया जाता है कि......................एल्युमनी एसोसिएशन बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी समिति जो ....द्वारा – बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी तहसील ....धमतरी...............जिला.................धमतरी...........छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (का कमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 06 / 03 / 2017.......... को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़

(आर.आर. राजभान)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार 6/3/17
सोसायटियों के रजिस्ट्रार

6.2.2

पदेन सचिव
डॉ.चन्द्रशेखर चौबे

अध्यक्ष
मान. डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव

सदस्य
श्री शरद लोहाना

पदेन उपाध्यक्ष
एस.डी.एम.
(कलेक्टर प्रतिनिधि)

सांसद प्रतिनिधि
श्री विजय साहू

स्थानीय प्रबंधन समिति

(जनभागीदारी समिति)

विधायक प्रतिनिधि
श्री भरत सोनी

सदस्य
श्री मदन मोहन खंडेलवाल

सदस्य
श्री राजेन्द्र लुकंड़

सदस्य
श्रीमती कविता योगेश बाबर

सदस्य
श्री घनश्याम साहू

सदस्य
श्री पी.वी. पराडकर

सदस्य
श्री राजेन्द्र लुकंड़

सदस्य
श्री सोमेश मेश्राम

पदेन सदस्य
प्राचार्य
शा.बा.उ.मा.वि.धमतरी

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

1. सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा।

6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

9. महाविद्यालय–परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

2. *अध्ययन संबंधी नियम*

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

3. *परीक्षा सम्बन्धी नियम*

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

4. *महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र*

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

Principal
B.C.S. Govt. P. G. College
Dhamtari (C.G.)

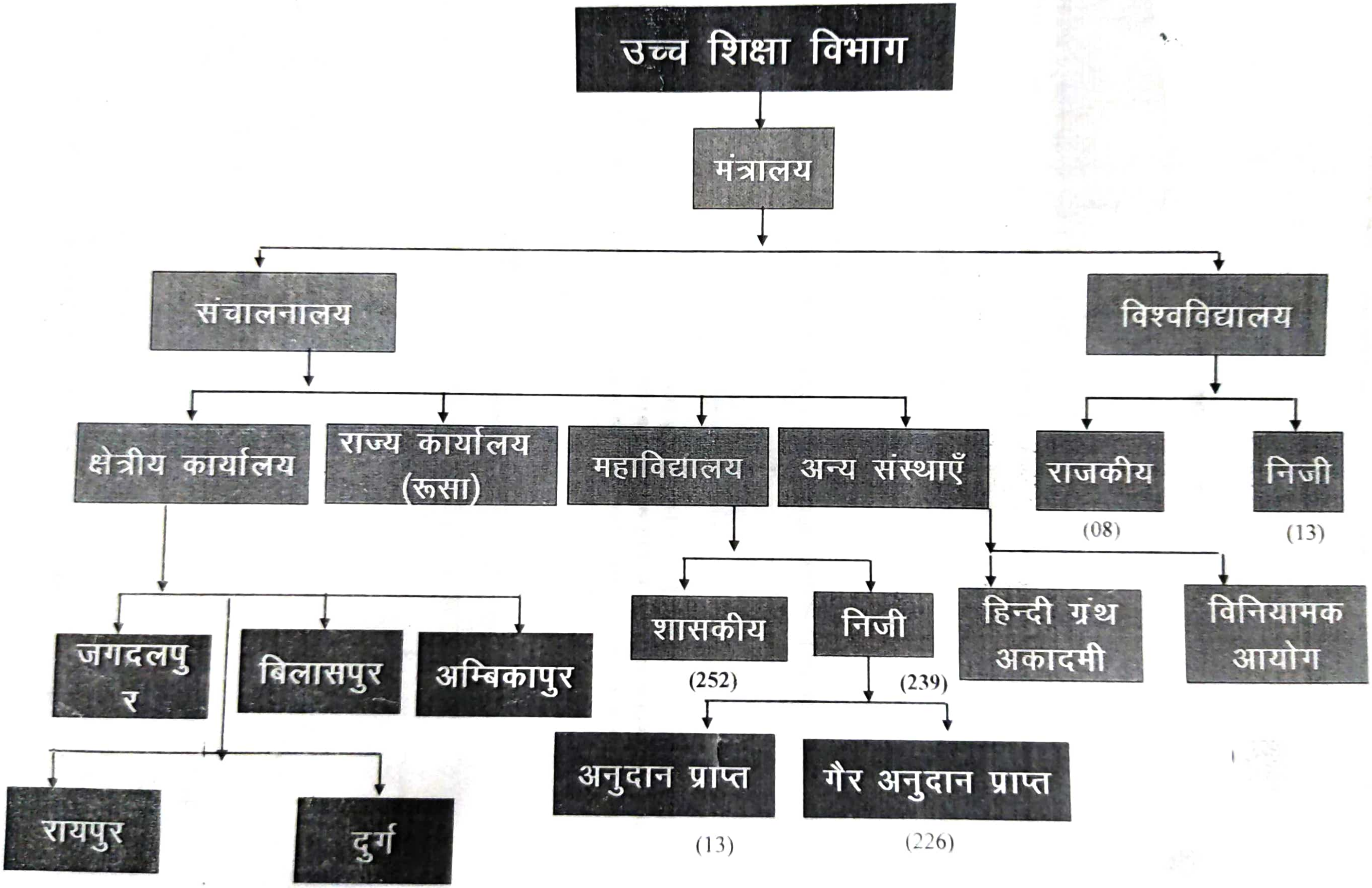
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
संचालनालय
विश्वविद्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
राज्य कार्यालय (रूसा)
महाविद्यालय
अन्य संस्थाएँ
राजकीय
(08)
निजी
(13)
जगदलपुर
बिलासपुर
अम्बिकापुर
रायपुर
दुर्ग
शासकीय
(252)
निजी
(239)
अनुदान प्राप्त
(13)
गैर अनुदान प्राप्त
(226)
हिन्दी ग्रंथ अकादमी
विनियामक आयोग

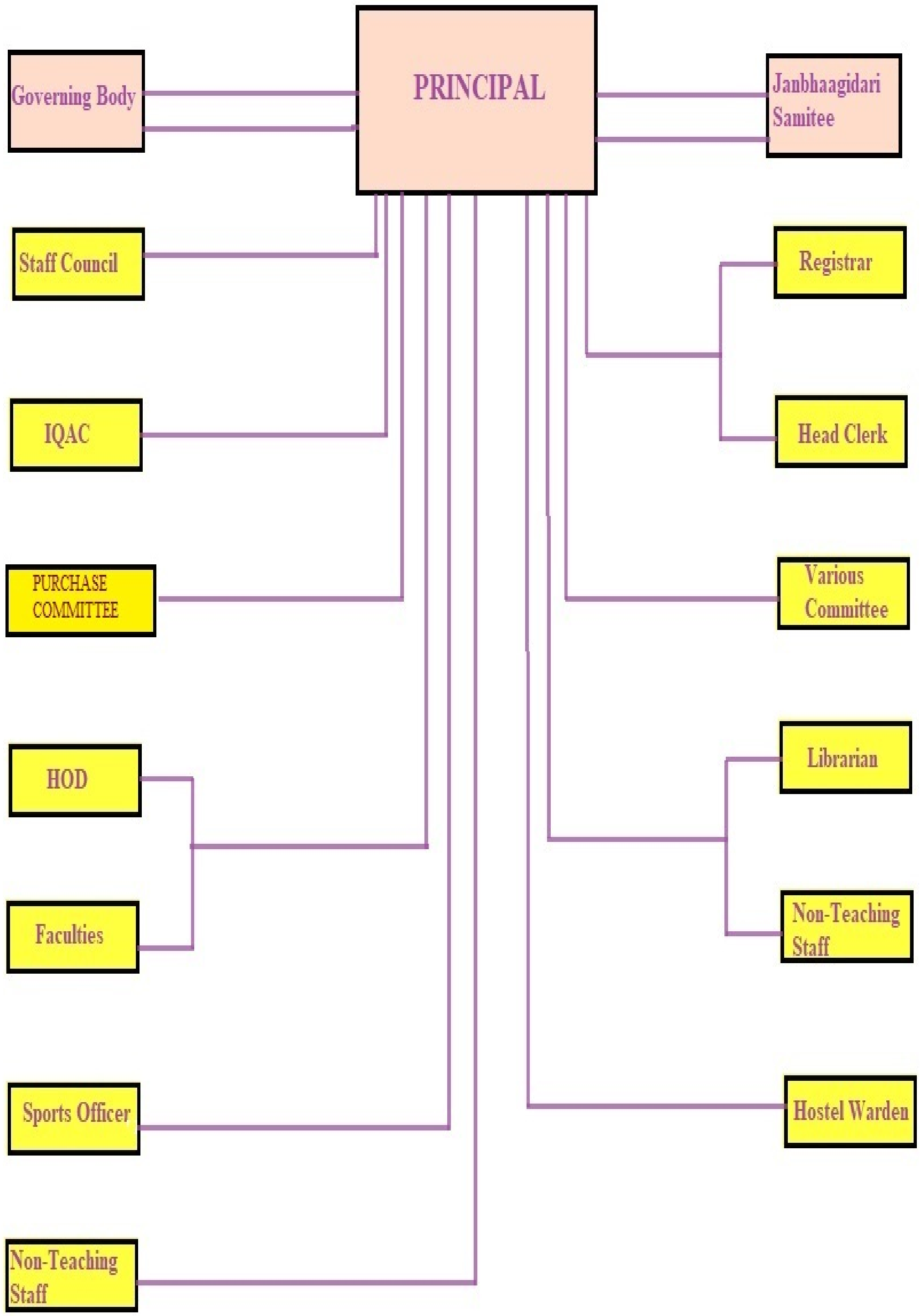
PRINCIPAL
Governing Body
Janbhaagidari Samitee
Staff Council
Registrar
IQAC
Head Clerk
PURCHASE COMMITTEE
Various Committee
HOD
Librarian
Faculties
Non-Teaching Staff
Sports Officer
Hostel Warden
Non-Teaching Staff